न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:–91 / 2024 निर्णय दिनांक :–27.05.2025

उनवानी दावा :

सत्यनारायण गौतम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्मण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 –वादी–

बनाम

1. महावीर पुत्र सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. पप्पू पुत्र सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. केदार पुत्र सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राहम्मण निवासी चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. तहसीलदार महोदय, तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

–उपस्थिति –

श्री रमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3

दावा बाबत बेदखली आराजीयात, व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा पेश वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 833 रकबा 0.49है0 भूमि वाके ग्राम चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे स्थित है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 का वादी की उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 लडाई झगडे के दम पर वादी की वाद पत्र के चरण नम्बर 1 मे वर्णित भूमि मे से कुछ भूमि हड़पना चाहते है और इसी उदेश्य से प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने वादी की भूमि के उत्तर दिशा की ओर करीब 12 मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा जबरन दादागिरी के दम पर उक्त भूमि पर कब्जा कर रखा है। वादी द्वारा उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाई गयी थी जिससे पता चला कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने वादी की कुछ भूमि पर कब्जा कर रखा है। राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा समझाईश करने पर भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने वादी को कब्जा देने से मना कर दिया। वादी की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण 1 ता 3 का कोई विधिक अधिकारी नही होने के बावजूद

27.5.25

नो जबरन लाठी के दम पर कब्जा किया है तथा वादी को जान से मारने की धमकिया देते है।प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 833 रकबा 0.49 है0, भूमि के जिस भू–भाग पर कब्जा कर रखा है, उस पर मकान निर्माण करने का प्रयास कर रहे है, जिसे रोका नही गया तो वादी हमेशा–हमेशा के लिये अपनी भूमि से वंचित हो जायेगा। प्रतिवादीगण 1 ता 3 द्वारा वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया है इस कारण प्रतिवादीगण 1 ता 3 को वादी की भूमि से बेदखल कर वादी को कब्जा संभलाया जाना तथा प्रतिवादीगण 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक व अनिवार्य है कि वह स्वय जरिये एजेंट, नोकर, चाकर व अन्य पारिवारिक सदस्यो द्वारा वाद वर्णित आराजीयात मे वादी की भूमि पर अब किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे, किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा हस्तान्तरित नही करे तथा भूमि के स्वरुप मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे। यदि प्रतिवादीगण 1 ता 3 को इस आशय से पाबंद नही किया तो अनावश्यक मुकदमे बाजी बढने व शांतिभग होने का अंदेशा है।वाद कारण आज से 5–7 दिन पूर्व उत्पन्न जब वादी ने प्रतिवादीगण 1 ता 3 को वादी की भूमि से कब्जा हटाने को कहने व प्रतिवादीगण द्वारा लडाई झगडा करने व भूमि से कब्जा हटाने के लिये मना करने से उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है। तहसीलदारजी दूनी को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।वाद पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद दो प्रतियों में पेश है।

अतः वादी की अधियाचना है कि :–

अ–.वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बाबत बेदखली आराजीयात डिकी किया जाकर वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 833 रकबा 0.49 है0, वाके ग्राम चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 की भूमि से प्रतिवादीगण 1 ता 3 को बेदखल किया जावे तथा वादी को अपनी भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण 1 ता 3 से दिलवाया जावे।

ब–वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 833 रकबा 0.49है0, वाके ग्राम चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे किसी प्रकार का

27.5.25

Scanned with OKEN Scanner

निर्माण करने व किसी अन्य को कब्जा हस्तान्तरित करने व भूमि मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करने के लिये सदा सर्वदा के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

स–खर्चा मुकदमा दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादी के हित मे लाभप्रद हो, प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र वादी पी डब्ल्यू 1 सत्यनारायण गौतम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 का पेश किया।

वादी पी. डब्ल्यू–1 ने उपस्थित होकर प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः–प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2074–77 प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस पेश कर वाद को वादीपक्ष डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को हुबहु दोहराते हुए कथन किया कि वादी रिकॉडेड खातेदार काश्तकार संभ्रात परिवार का व्यक्ति है और प्रतिवादीगण भी ब्राहम्ण ही है परन्तु बदमाश, लड़ाकू व गाली गलोच करने वाले है, जिन्होने वादी की विवादित आराजी में से लगभग 12 मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है और जब भी वादी अपनी खातेदारी की भूमि पर जाता है तो वे गाली गलोच कर वादी को मारने पर व गाली गलोच कर लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाता है। अतः माननीय न्यायालय से ही यह प्रार्थना है कि वादी की खातेदारी भूमि को नपवाकर अर्थात सीमाज्ञान करवाकर, जितनी भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा/अतिक्रमण है उसको हटवाकर, वादी को मौके पर सम्भलाया जावे तथा प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह भविष्य में उक्त अवैधानिक कृत्य न करे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के

27.5.25

ख. नं. 833 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम चान्दसिंहपुरा तहसील दूनी का वादी खातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वाद व बहस अनुसार प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी भूमि पर लगभग 12 मीटर तक पर कब्जा कर रखा है और मकान बनाना चाहते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादी खातेदार को उक्त वाद वर्णित भूमि से लगभग 12 मीटर तक बेदखल कर रखा है। अतः वादी द्वारा उक्त आराजी में खातेदार की हैसियत होने के आधार पर, प्रतिवादीगण को बेदखल करवाकर, कब्जा प्राप्त करने व प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

आदेश

तहसीलदार दूनी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन कर वादी की खातेदारी की भूमि ख. नं. 833 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम चान्दसिंहपुरा तहसील दूनी का नाप–चौप करे। यदि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर अवैध कब्जा पाया जावे तो अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाकर भूमि अतिक्रमण मुक्त कर उक्त खातेदारी भूमि का कब्जा वादी को सम्भलाया जावे, इस बाबत मौका कमिश्नर फीस 2000/– निर्धारित की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी भूमि कृषि भूमि ख. नं. 833 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम चान्दसिंहपुरा तहसील दूनी में कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादी को जबरन बेदखल नहीं करे। पाबन्द रहे। तद्नुसार एकपक्षीय डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 27.05.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....

...मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

उनवानी दावा :

सत्यनारायण गौतम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहम्मण निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—वादी—

बनाम

1. महावीर पुत्र सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. पप्पू पुत्र सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. केदार पुत्र सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राहम्मण निवासी चांदसिहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. तहसीलदार महोदय, तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

—उपस्थिति —

श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3

दावा बाबत बेदखली आराजीयात, व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 91 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मुझ मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि....

आदेश

तहसीलदार दूनी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन कर वादी की खातेदारी की भूमि ख. नं. 833 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम चान्दसिंहपुरा तहसील दूनी का नाप—चौप करे। यदि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर अवैध कब्जा पाया जावे तो अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाकर भूमि अतिक्रमण मुक्त कर उक्त खातेदारी भूमि का कब्जा वादी को सम्भलाया जावे, इस बाबत मौका कमिश्नर फीस 2000/— निर्धारित की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की

27.5.25

तदारी व कब्जे–काश्त की आराजी भूमि कृषि भूमि ख. नं. 833 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम चान्दसिंहपुरा तहसील दूनी में कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा वादी को जबरन बेदखल नहीं करे। पाबन्द रहे।

निजी..मुवलिक.......................................बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक) ....

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फ़रीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए